राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

पीठासीन अधिकारीः– सुनील कुमार चौहान,आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या – 83/2020 **जीसीएमएस नम्बर –2020/00173**

1. सिंहराज पुत्र रामजीलाल जाति अहीर निवारसी मेधपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुंनूं।

.... वादी

ब–ना–म

1. सुभाष पुत्र उमराव जाति अहीर निवासी मेधपुर तहसील बुहाना।
2. अनिता पुत्री उमराव पत्नी यशपाल जाति अहीर निवासी मेधपुर तहसील बुहाना हाल आबाद गोद तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ हरियाणा।
3. कमलेश पुत्री उमराव पत्नी नरेश जाति अहीर निवासी मेधपुर तहसील बुहाना हाल आबाद बैरास तहसील व जिला महेन्द्रगढ हरियाणा।
4. निलम पुत्री उमराव पत्नी पप्पु जाति अहीर निवासी मेधपुर तहसील बुहाना हाल आबाद बिलवा की ढाणी तहसील खेतडी।
5. मुकेश पुत्री उमराव पत्नी राजु जाति अहीर निवासी मेधपुर तहसील बुहाना हाल आबाद बैरास तहसील व जिला महेन्द्रगढ हरियाणा।
6. रमेश पुत्री उमराव पत्नी दिनेश जाति अहीर निवासी मेधपुर तहसील बुहाना हाल आबाद गोद तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ हरियाणा।
7. रामप्यारी पत्नी उमराव जाति अहीर निवासी मेधपुर तहसील बुहाना।
8. शर्मिला पुत्री उमराव पत्नी नरेश जाति अहीर निवासी मेधपुर तहसील बुहाना हाल आबाद गोद तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ हरियाणा।
9. सुमन पुत्री उमराव पत्नी सुरेन्द्र जाति अहीर निवासी मेधपुर तहसील बुहाना हाल आबाद बिलवा की ढाणी तहसील खेतडी।
10. ग्यारसी पुत्री रामजीलाल पत्नी हनुमान सिंह जाति अहीर निवासी मेधपुर तहसील बुहाना हाल तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं।
11. फुला पुत्री रामजीलाल पत्नी हनुमानसिंह जाति अहीर निवासी मेधपुर हाल आबाद खान्दवा तहसील बुहाना **(फौत)**

11/1 नगेश पुत्र फुला देवी जाति अहीर निवासी खान्दवा तहसील बुहाना।

11/2 विरेन्द्र पुत्र फला देवी जाति अहीर निवासी खान्दवा तहसील बुहाना।

11/3 मुकेश देवी पत्नी राजपाल पुत्री फुला देवी जाति अहीर निवासी रिवासा तहसील व जिला महेन्द्रगढ।

11/4 सुमन पत्नी सुनील [illegible] जाति अहीर निवासी अचिणा तहसील व जिला चरखी दादरी ह[illegible]।

11/5 सुमन पत्नी लक्ष्मीनारायण पुत्रवधु फुला [illegible]

11/6 प्रियंका माता सुमन देवी नवीरा फुला [illegible] नाबालिक जरिय संरक्षण माता सुमन देवी।

11/7 दिक्षित माता सुमन देवी नवीरा फुला देवी नाबालिक जरिय संरक्षण माता सुमन देवी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:26:04 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

12. मामनराम पुत्र प्रभातीलाल जाति अहीर निवासी खान्दवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं।
13. रेशमी पत्नी बंशीधर जाति अहीर निवासी मेधपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं हाल आबाद नांगल कालिया तहसील नांगल चौधरी हरियाणा।
14. राजबाला पुत्री प्रभातीलाल जाति अहीर निवासी खान्दवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं।
15. लीलाधर पुत्र रोतास जाति अहीर निवासी खान्दवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं।
16. शांति पत्नी रोतास जाति अहीर निवासी खान्दवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं।
17. धीसा पुत्र किशनसहाय जाति अहीर निवासी खान्दवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं।
18. शीशराम पुत्र रोतास जाति अहीर निवासी खान्दवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं।
19. उपपंजीयक बुहाना तहसील बुहाना।
20. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बुहाना।

..........प्रतिवादीगण

<u>दावा– खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा</u>

:: निर्णय :: दिनांक : 18-10-2022

वादी की ओर से वाद पत्र प्रस्तुत कर किया है कि – वाके ग्राम मेधपुर तहसील बुहाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 139 रकबा 0.52 है., खसरा नम्बर 278 रकबा 0.34 है., खसरा नम्बर 315 रकबा 0.32 है., खसरा नम्बर 326 रकबा 0.39 है., खसरा नम्बर 580 रकबा 0.43 है., खसरा नम्बर 581 रकबा 0.43 है., खसरा नम्बर 588 रकबा 0.66 है., खसरा नम्बर 591 रकबा 0.41 है., खसरा नम्बर 596 रकबा 0.47 है., कुल किता 9 कुल रकबा 3.97 है. के संयुक्त खातेदार कास्तकार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 व 13 दर्ज रिकार्ड है। जिसमें वादी का 1/5 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 का 9/45 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 10 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 11 का 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 13 का 1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इसी तरह वाके ग्राम मेधपुर स्थित भूमि खसरा नम्र 192 रकबा 0.09 है., खसरा नम्बर 193 रकबा 0.14 है., खसरा नम्बर 232 रकबा 0.05 है., कुल किता 3 कुल रकबा 0.28 है. के संयुक्त खातेदार कास्तकार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 दर्ज रेकार्ड है। जिसमें वादी का 2/15 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 का प्रत्येक का 2/135 हिस्सा यानि 2/15 हिस्सा सभी का, प्रतिवादी संख्या 10 का 2/15 , प्रतिवादी संख्या 11 का 2/15 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 12 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 13 का 2/15 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 14 का 1/36 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 15 का 1/27 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 16 का 1/27 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 17 का 1/19 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 18 का हिस्सा 1/27 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादी व प्रतिवादीगण ने मौके पर बाहमी बंटवारा कर के पूर्वज के समय से कर रखा है और उसी अनुसार मौके पर काबिज कास्त चले आ रहे है। बाहमी बंटवारे के अनुसार वादी के हिस्सा व कब्जेकास्त में निम्न खसरा नम्बर की भूमि है खसरा नम्बर 139 रकबा 0.52 है.में से 1/2 भाग यानि 0.26 है दक्षिणी पूर्वी हिस्सा, खसरा नम्बर 278 रकबा 0.34 है.में से 1/2 भाग यानि 0.17 है.पूर्वी हिस्सा, खसरा नम्बर 315 रकबा 0.32 है.सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 232 रकबा 0.05 है. कुल 0.80 है. इस प्रकार से वादी बाहमी बंटवारे के अनुसार उपरोक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:26:04 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)

भूमि को कास्त कर रहा है। वादी ने अपनी भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए लाखों रूपये खर्च किये है।

वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि–

(क) प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 , 13 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमावे कि वाके ग्राम मेधपुर तहसील बुहाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 139 रकबा 0.52 है., खसरा नम्बर 278 रकबा 0.34 है., खसरा नम्बर 315 रकबा 0.32 है., खसरा नम्बर 326 रकबा 0.39 है., खसरा नम्बर 580 रकबा 0.43 है., खसरा नम्बर 581 रकबा 0.43 है., खसरा नम्बर 588 रकबा 0.66 है., खसरा नम्बर 591 रकबा 0.41 है., खसरा नम्बर 596 रकबा 0.47 है., कुल किता 9 कुल रकबा 3.97 है. तथा खसरा नम्र 192 रकबा 0.09 है., खसरा नम्बर 193 रकबा 0.14 है., खसरा नम्बर 232 रकबा 0.05 है., कुल किता 3 कुल रकबा 0.28 है. जब तक वाद पत्र का अन्तिम रूप से निर्णय नही हो जाता है तब तक रहन, बैचान, दान ना करे, खसरा नम्बर 139, 278, 315 में जबरन कब्जा नही करे, ना ही निर्माण करे, ना ही वादी को कास्त करने में व्यवधान करे, प्रतिवादी संख्या 19 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करे कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 के द्वारा प्रस्तुत किसी भी दस्तावेज को तस्दीक नही करे।

(ख) कि वाके ग्राम मेधपुर तहसील बुहाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 139 रकबा 0.52 है., खसरा नम्बर 278 रकबा 0.34 है., खसरा नम्बर 315 रकबा 0.32 है., खसरा नम्बर 326 रकबा 0.39 है., खसरा नम्बर 580 रकबा 0.43 है., खसरा नम्बर 581 रकबा 0.43 है., खसरा नम्बर 588 रकबा 0.66 है., खसरा नम्बर 591 रकबा 0.41 है., खसरा नम्बर 596 रकबा 0.47 है., कुल किता 9 कुल रकबा 3.97 है.में वादी का 1/5 तथा खसरा नम्र 192 रकबा 0.09 है., खसरा नम्बर 193 रकबा 0.14 है., खसरा नम्बर 232 रकबा 0.05 है., कुल किता 3 कुल रकबा 0.28 है. में वादी का 2/15 हिस्से का अलग से खाता विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे व विभाजन में बाहमी बंटवारे के अनुसार वादी को खसरा नम्बर 139 रकबा 0.52 है.में से 1/2 भाग यानि 0.26 है दक्षिणी पूर्वी हिस्सा, खसरा नम्बर 278 रकबा 0.34 है.में से 1/2 भाग यानि 0.17 है.पूर्वी हिस्सा, खसरा नम्बर 315 रकबा 0.32 है.सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 232 रकबा 0.05 है. कुल 0.80 है. दिये जाने की कृपा करे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण तलबी जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 की ओर से जबाव पेश किया गया। शेष प्रतिवादीगण बावजूद सम्यक् तामील के अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 का जबाव रहा कि वाके ग्राम मेधपुर तहसील बुहाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 139 रकबा 0.52 है., खसरा नम्बर 278 रकबा 0.34 है., खसरा नम्बर 315 रकबा 0.32 है., खसरा नम्बर 326 रकबा 0.39 है., खसरा नम्बर 580 रकबा 0.43 है., खसरा नम्बर 581 रकबा 0.43 है., खसरा नम्बर 588 रकबा 0.66 है., खसरा नम्बर 591 रकबा 0.41 है., खसरा नम्बर 596 रकबा 0.47 है., कुल किता 9 कुल रकबा 3.97 है. में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 प्रत्येक 1/45 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का भी 1/5 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 10 रेशमी देवी का उक्त भूमि में हिस्सा 1/5 भाग सम्पूर्ण जरिये विक्रय दिनांक 0.0[illegible] प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी खरीद शुद्वा भूमि पर कब्जा कर बतौर मालिक [illegible] है। वाके ग्राम मेधपुर स्थित भूमि खसरा नम्र 192 रकबा 0.09 है[illegible]0.14 है., खसरा नम्बर 232 रकबा 0.05 है., कुल किता 3 कुल र[illegible]है. में प्रति[illegible]संख्या 1 लगायत 9 का प्रत्येक का 2/135 भाग दर्ज रिकार्ड है। प्र[illegible]प्रतिवादी संख्या 10 का उक्त भूमि में सम्पूर्ण हिस्सा 1/15 भाग का जरिय विक्रय पत्र दिनांक [illegible].2020 को क्रय कर लिया जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 बतौर मालिक काबिज कास्त है। शेष हिस्सेदार भी अपने हिस्से अनुसार कब्जाकास्त है। इसी प्रकार वाके ग्राम मेधपुर स्थित भूमि खसरा नम्बर 451 रकबा 0.73 है., खसरा नम्बर 732/541 रकबा 0.06 है. किता 2 कुल रकबा 0.79 है. में प्रतिवादी संख्या 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:26:04 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)

लगायत 9 का प्रत्येक का हिस्सा 1/360 भाग दर्ज राजस्व रिकार्ड है. प्रतिवादी संख्या 10 रेशमी देवी का हिस्सा 1/40 भाग प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिसे विक्रय पत्र दिनांक 08.06.2020 का खरीद लिया है। प्रतिवादी संख्या 1 बतौर मालिक काबिज कास्त है। विवादित भूमि में खसरा नम्बर 315 रकबा 0.32 है. भूमि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 जो प्रतिवादी संख्या 1 का उसकी मां, बहिनों का स्वयं प्रतिवादी संख्या 1 ही काश्त करता है प्रतिवादी संख्या 10 हिस्सा भी प्रतिवादी संख्या1 ही बंटाई में कास्त करता था। अतः जबाव वाद पत्र प्रस्तुत कर अर्ज है कि वादी कादावा मय हर्जा खर्चा खारीज फरमाया जावे।

वादीगण की ओर से साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबंदी संवत् 2075–78 पेश की।

दावा खाता एवं लगान विभाजन बाबत दिनांक 04–07–2022 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार बुहाना को कुर्रेजात प्रस्ताव हेतु लिखा गया। तहसीलदार बुहाना से कुर्रेजात रिपॉर्ट दिनांक 28–07–2022 को प्राप्त हुई । अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1की ओर से विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति पेश की गई। अधिवक्ता वादी द्वारा आपत्ति पर जबाव नही दिया जाकर सीधे ही बहस करने हेतु निवेदन किया। आपत्ति पर बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी का आपत्ति पर बहस में तर्क रहा कि– वाद वर्णित कृषि भूमि का माननीय न्यायालय श्रीमानजी द्वारा दिनांक 04–07–2022 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी जिसमें श्रीमानजी तहसीलदार बुहाना को मौका कमिश्नर नियुक्त कर मौका रिपोर्ट न्यायालय मं प्रस्तुत करने हेतु कहां गया। जबकि मौका रिपोर्ट के अवलोकन से हल्का पटवारी पांथरोली द्वारा ही मौका निरीक्षण मौका रिपोर्ट तैयार की गई है। तहसीलदार बुहाना द्वारा किसी प्रकार का कोई मौका निरीक्षण नही किया गया। मौका मौका रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मौके पर कब्जकास्त अनुसार पेश करने हेतु श्रीमानजी द्वारा तहसीलदार को निर्देशित किया गया है। किन्तु तहसीलदार द्वारा आदेशानुसार मौका रिपोर्ट तैयार नही की गई। वाद वर्णित कृषि भूमि की रिपोर्ट / कुर्रेजात अस्वीकार है। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 21–07–2022 को निरीक्षण कर मौका रिपोर्ट तैयार की है तो मौका पर हिस्से व कब्जे अनुसार तैयार नही कर नितानत ही गलत व झुठी मौका रिपोर्ट तैयार की गई है। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में विवादित वाद वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 315 रकबा 0.32 है. सम्पूर्ण हिस्सा वादी के हिस्से में वर्णित किया गया तथा अपनी मौका रिपोर्ट में विवादित वाद वर्णित कृषि भूमि खसरा न्बर 315 रकबा 0.32 है. में से 1/2 भाग यानि 0.16 है. पर प्रतिवादी संख्या 1 सुभाष का वर्तमान में कब्जा होना दर्शाया जाकर अलग से नोट दर्ज किया गया है। जबकि हल्का पटवारी ने अपनी मौका रिपोर्ट में खसरा नम्बर 315 रकबा 0.32 है. में कितने पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है दर्ज नही किया है। जिससे मौके के कब्जे अनुसार खाता विभाजन किया जाना सम्भव नही है। मौका रिपोर्ट में हल्का पटवारी ने विवादित वाद वर्णित कृषि भूमि पर पूर्व में वादी सिंहराज का कब्जा खसरा नम्बर 315 पर होना अंकित किया है। पटवारी हल्का ने ने वादी से सांठ गाठ कर आपसी मिली भगत कर मौके के कब्जे अनुसार मौका रिपोर्ट तैयार न कर बदनियती से साक्ष्य [illegible] करने के आशय से वादी सिंहराज का कब्जा मौका रिपोर्ट में वर्णित किया है। जो गलत रूप से [illegible] किया है। प्रतिवादी संख्या 1 गरीब व मजदूरी पेशा व्यक्ति है जो कृषि कार्य कर अपनी आजीविका चलाता है तथा विवादित वाद वर्णित भूमि खसरा नम्बर 315 रकबा 0.32 [illegible] से भाग 1/2 हिस्सा यानि 0.16 है. से प्रतिवादील संख्या 1 ने बाजरा की फसल काश्त कर रखा है तथा बिना किसी लडाई झगडा के अपने अपनी हिस्से पर काबिज कास्त [illegible] अतः प्रतिवादी/प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र/ आपत्ति पेश कर अर्ज है कि विवादित वाद वर्णित भूमि के मौका रिपोर्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:26:04 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)

/ कुर्रेजात श्रीमान तहसीलदार की उपस्थिति में प्रार्थी / प्रतिवादी की आपत्ति हो ध्यान में रखतें हुए पुनः मंगवाई जाने की कृपा करे।

विद्वान अधिवक्ता वादी का आपत्ति पर बहस में तर्क रहा कि– वादी व प्रतिवादीगण ने मौके पर बाहमी बंटवारा कर के पूर्वज के समय से कर रखा है और उसी अनुसार मौके पर काबिज कास्त चले आ रहे है। बाहमी बंटवारे के अनुसार वादी के हिस्सा व कब्जेकास्त में निम्न खसरा नम्बर की भूमि है खसरा नम्बर 139 रकबा 0.52 है.में से 1/2 भाग यानि 0.26 है दक्षिणी पूर्वी हिस्सा, खसरा नम्बर 278 रकबा 0.34 है.में से 1/2 भाग यानि 0.17 है.पूर्वी हिस्सा, खसरा नम्बर 315 रकबा 0.32 है.सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 232 रकबा 0.05 है. कुल 0.80 है. इस प्रकार से वादी बाहमी बंटवारे के अनुसार उपरोक्त भूमि को कास्त कर रहा है। वाद वर्णित कृषि भूमि का माननीय न्यायालय श्रीमानजी द्वारा दिनांक 04–07–2022 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी जिसमें श्रीमानजी तहसीलदार बुहाना को मौका कमिश्नर नियुक्त कर मौका रिपोर्ट न्यायालय मं प्रस्तुत करने हेतु कहां गया। मौका रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव प्राथमिक डिक्री दिनांक 04–07–2022 के अनुसार ही तैयार की गई है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा खसरा नम्बर 315 रकबा 0.32 के 1/2 भाग पर दिनांक 04–07–2022 के बाद ही जबरदस्ती कब्जा कर 1/2 भाग पर कब्जा कर लिया गया है। जबकि खसरा नम्बर 315 रकबा 0.32 है. पर सम्पूर्ण पर वादी का कब्जा है। विभाजन प्रस्ताव मौके पर मौका कमिश्नर तहसीलदार ही द्वारा तैयार किये गये है। तहसीलदार विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व पक्षकारान को विधिवत् नोंटिस जारी किये गये है। इसमें किसी प्रकार की कोई सांठ गांठ नही किया गया है। अतः प्रतिवादी संख्या संख्या 1 की आपत्ति खारीज कर विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक वाद को अंतिम डिक्री किया जावे।

आपत्ति पर न्यायालय का निष्कर्ष :– **(1)** वाद वर्णित कृषि भूमि का माननीय न्यायालय श्रीमानजी द्वारा दिनांक 04–07–2022 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी जिसमें श्रीमानजी तहसीलदार बुहाना को मौका कमिश्नर नियुक्त कर मौका रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु कहां गया। **(2) प्रतिवादी का तर्क है कि** मौका रिपोर्ट के अवलोकन से हल्का पटवारी पांथरोली द्वारा ही मौका निरीक्षण मौका रिपोर्ट तैयार की गई है। तहसीलदार बुहाना द्वारा किसी प्रकार का कोई मौका निरीक्षण नही किया गया। मौका मौका रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मौके पर कब्जेकास्त अनुसार पेश करने हेतु श्रीमानजी द्वारा तहसीलदार को निर्देशित किया गया है। किन्तु तहसीलदार द्वारा आदेशानुसार मौका रिपोर्ट तैयार नही की गई। (3) **न्यायालय का तर्क है** कि विभाजन प्रस्ताव प्राथमिक डिक्री में दिये निर्देशानुसार तैयार किये गये है। मौका रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव प्राथमिक डिक्री दिनांक 04–07–2022 के अनुसार ही तैयार की गई है। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा खसरा नम्बर 315 रकबा 0.32 के 1/2 भाग पर दिनांक 04–07–2022 के बाद ही जबरदस्ती कब्जा कर 1/2 भाग पर कब्जा कर लिया गया है। जबकि खसरा नम्बर 315 रकबा 0.32 है. पर सम्पूर्ण पर वादी का कब्जा होना अंकित किया गया है। विभाजन प्रस्ताव मौके पर मौका कमिश्नर तहसीलदार ही द्वारा तैयार किये गये है। तहसीलदार विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व पक्षकारान को विधिवत् नोंटिस जारी किये गये है। इसमें किसी प्रकार की कोई सांठ गांठ नही किया गया है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 आपत्ति सारहीन होने से खारिज की जाती है। उभय पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:26:04 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं वाद पत्र के अभिवचनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। अतः वाद को मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 28–07–2022 डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

<u>आदेश</u>

न्यायालय वाद वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 बाबत खाता व लगान विभाजन को डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम मेधपुर तहसील बुहाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 139 रकबा 0.52 है., खसरा नम्बर 278 रकबा 0.34 है., खसरा नम्बर 315 रकबा 0.32 है., खसरा नम्बर 326 रकबा 0.39 है., खसरा नम्बर 580 रकबा 0.43 है., खसरा नम्बर 581 रकबा 0.43 है., खसरा नम्बर 588 रकबा 0.66 है., खसरा नम्बर 591 रकबा 0.41 है., खसरा नम्बर 596 रकबा 0.47 है., कुल किता 9 कुल रकबा 3.97 है.में वादी का 1/5 तथा खसरा नम्र 192 रकबा 0.09 है., खसरा नम्बर 193 रकबा 0.14 है., खसरा नम्बर 232 रकबा 0.05 है., कुल किता 3 कुल रकबा 0.28 है. भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव ""अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 18-10-2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:26:04 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– सुनील कुमार चौहान,आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या – 83/2020 **जीसीएमएस नम्बर –2020/00173**

सिंहराज पुत्र रामजीलाल जाति अहीर निवारसी मेधपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुंनूं। .... वादी

ब–ना–म

1. सुभाष पुत्र उमराव जाति अहीर निवासी मेधपुर तहसील बुहाना।
2. अनिता पुत्री उमराव पत्नी यशपाल जाति अहीर निवासी मेधपुर तहसील बुहाना हाल आबाद गोद तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ हरियाणा।
3. कमलेश पुत्री उमराव पत्नी नरेश जाति अहीर निवासी मेधपुर तहसील बुहाना हाल आबाद बैरास तहसील व जिला महेन्द्रगढ हरियाणा।
4. निलम पुत्री उमराव पत्नी पप्पु जाति अहीर निवासी मेधपुर तहसील बुहाना हाल आबाद बिलवा की ढाणी तहसील खेतडी।
5. मुकेश पुत्री उमराव पत्नी राजु जाति अहीर निवासी मेधपुर तहसील बुहाना हाल आबाद बैरास तहसील व जिला महेन्द्रगढ हरियाणा।
6. रमेश पुत्री उमराव पत्नी दिनेश जाति अहीर निवासी मेधपुर तहसील बुहाना हाल आबाद गोद तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ हरियाणा।
7. रामप्यारी पत्नी उमराव जाति अहीर निवासी मेधपुर तहसील बुहाना।
8. शर्मिला पुत्री उमराव पत्नी नरेश जाति अहीर निवासी मेधपुर तहसील बुहाना हाल आबाद गोद तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ हरियाणा।
9. सुमन पुत्री उमराव पत्नी सुरेन्द्र जाति अहीर निवासी मेधपुर तहसील बुहाना हाल आबाद बिलवा की ढाणी तहसील खेतडी।
10. ग्यारसी पुत्री रामजीलाल पत्नी हनुमान सिंह जाति अहीर निवासी मेधपुर तहसील बुहाना हाल तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं।
11. फुला पुत्री रामजीलाल पत्नी हनुमानसिंह जाति अहीर निवासी मेधपुर हाल आबाद खान्दवा तहसील बुहाना (फौत)

11/1 नगेश पुत्र फुला देवी जाति अहीर निवासी खान्दवा तहसील बुहाना।
11/2 विरेन्द्र पुत्र फला देवी जाति अहीर निवासी खान्दवा तहसील बुहाना।
11/3 मुकेश देवी पत्नी राजपाल पुत्री फुला देवी जाति अहीर निवासी रिवासा तहसील व जिला महेन्द्रगढ।
11/4 सुमन पत्नी सुनील कुमार पुत्री फुला देवी जाति अहीर निवासी अचिणा तहसील व जिला चरखी दादरी हरियाणा।
11/5 सुमन पत्नी लक्ष्मीनारायण पुत्री फुला देवी ...
11/6 प्रियंका माता सुमन देवी नवीरा फुला देवी नाबालिक जरिय संरक्षण माता सुमन देवी।
11/7 दिक्षित माता सुमन देवी नवीरा फुला देवी नाबालिक जरिय संरक्षण माता सुमन देवी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:26:04 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

12. मामनराम पुत्र प्रभातीलाल जाति अहीर निवासी खान्दवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं।
13. रेशमी पत्नी बंशीधर जाति अहीर निवासी मेधपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं हाल आबाद नांगल कालिया तहसील नांगल चौधरी हरियाणा।
14. राजबाला पुत्री प्रभातीलाल जाति अहीर निवासी खान्दवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं।
15. लीलाधर पुत्र रोतास जाति अहीर निवासी खान्दवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं।
16. शांति पत्नी रोतास जाति अहीर निवासी खान्दवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं।
17. धीसा पुत्र किशनसहाय जाति अहीर निवासी खान्दवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं।
18. शीशराम पुत्र रोतास जाति अहीर निवासी खान्दवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं।
19. उपपंजीयक बुहाना तहसील बुहाना।
20. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बुहाना।

..........प्रतिवादीगण

दावा बाबत –खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वादी की ओर से **श्री राजेश यादव एडवोकेट** की एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 की ओर से **श्री अशोक यादव एडवोकेट** की उपस्थिीत मे तथा शेष प्रतिवादीगण की अनपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 18-10-2022 को **श्री सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 बाबत खाता व लगान विभाजन को डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम मेघपुर तहसील बुहाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 139 रकबा 0.52 है., खसरा नम्बर 278 रकबा 0.34 है., खसरा नम्बर 315 रकबा 0.32 है., खसरा नम्बर 326 रकबा 0.39 है., खसरा नम्बर 580 रकबा 0. 43 है., खसरा नम्बर 581 रकबा 0.43 है., खसरा नम्बर 588 रकबा 0.66 है., खसरा नम्बर 591 रकबा 0.41 है., खसरा नम्बर 596 रकबा 0.47 है., कुल किता 9 कुल रकबा 3.97 है.में वादी का 1/5 तथा खसरा नम्र 192 रकबा 0.09 है., खसरा नम्बर 193 रकबा 0.14 है., खसरा नम्बर 232 रकबा 0.05 है., कुल किता 3 कुल रकबा 0.28 है. भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 18-10-2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:26:04 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)